Shikshaparivar.com

दिनॉक 26.1.2015

अपील फार्म भरने के दिशा – निर्देश

नमस्कार मित्रों । मै एक संस्था संचालक के रूप मे आपकी परेशानी को समझ सकता हूँ । फीस कमेटी ऑकडो के आधार पर कम्पयूटर से फीस तय कर रही है जिसकी वजह से हमारी फीस बहुत कम हो रही है । जब मैने सरकारी अधिकारियों से इसका कारण पूछा एवं जिनकी फीस तय हो कर आई है उसका विश्लेषण किया तो निम्न तकनीकी खामियों की वजह से हमारी फीस कम हुई है

1. उन्होने हमारे खर्चो को संचालन गैर संचालन मे बॉट दिया , जबकि पहले हमारे एकाउन्टिग सिस्टम मे इस प्रकार की बात पर कोई जोर नही दिया जाता था, सिर्फ इस बात पर जोर होता था, कि स्कूल का पैसा किसी अन्य उपयोग मे ना लिया जाये । और अब संचालन /गैर संचालन की बात करते है ।
2. दूसरा उन्हौने हमारी डूबत या छूट या छीजत को कोई महत्व नही दिया जबकि किसी भी व्यवसाय अथवा सेवा जिसमे पैसे का लेन देन होता है वहॉ डूबत व छूट व छीजत होती ही है ।
3. तीसरा कर्मचारियो के वेतन का केवल अनुमान लगाया जा सकता है क्योकि बीच सत्र मे यदि कोई कर्मचारी छोड कर चला जाता है तो संस्था को तो कई बार डबल अनुदान पर कर्मचारी रखना होता है ,कई बार अतिरिक्त क्लास लेने वाले अथवा कमजोर बच्चो को अतिरिक्त पढाई करवाने बाबत हमे अतिरिक्त टीचर्स रखने पढते है एवं टीचर्स को अच्छी वेतन वृद्वि भी देनी होती है कई बार उनके परफोरमेंश के आधार पर । क्योकि नियमानुसार हमसे सरकार ने हमारे कर्मचारियों को सरकारी कर्मचारियो के बराबर वेतन देने का शपथ पत्र कई बार ले रखा है । संस्था की आर्थिक स्थिति ज्यादा ठीक नही होने से पहले ही हम पूरा वेतन नही दे कर उन्हे अनुदान पर रखते है परन्तु उनकी परफोरमेंन्स के आधार पर हम उनके वेतन पर 10 प्रतिशत क्या कई बार डबल तक कर देते है ।
4. पहले संस्थाएँ चंदा लेती थी, जिसके चक्कर मे एकाउनिटंग पर इतना ध्यान नही दिया जाता था, अत : पुरानी बैलेन्स सीट के बेस पर आगे की फीस तय करना सही नही होगा । आपको वर्तमान फीस के लिए वर्तमान कीमत एवं खर्चे देखने होगे ।
5. चौथा – मुफत शिक्षा प्राप्त कर रहे बच्चो की फीस का न आना – हमारी संस्थाओं मे राजस्थान भर मे यह प्रचलन है कि तीन बहिन–भाई होने से उनमे एक की फीस ली ही नही जाती । ऐसे बच्चो की फीस जब आती ही नही तो उनकी फीस का हिसाब कहॉ से देवे । फीस कमेटी ने ऐसे बच्चो की भी फीस आना माना है ।

DO NOT COPY

6. आरटीई नॉमर्स 2010 के बाद आये है जिसके बाद सरकार ने दुनिया भर के कानून लाद दिये जिनको पूरा करने के लिए अतिरिक्त सुविधाएँ/ पूर्ण प्रशिक्षित टीचर्स एवं नई टैक्नोलोजी की व्यवस्था करनी पडी जिसके लिए कैपीटल इन्वेस्टमेन्ट एवं संचालन खर्चो मे बढौत्तरी हुई है तो फीस बढना लाजमी है । लेकिन फीस कमेटी समझ रही है कि हमने आरटीई मे पैसा उठाने के लिए बढाई है फीस । जो गलत है
7. राज्य सरकार ने मान्यता के लिए पहले जो चार्ज कर रही थी वह राशि बहुत कम थी अब निम्न प्रकार हो गई है – तो फीस तो बढानी पडेगी ही –
6. संस्था एक संस्था को मान्यता मे लगने वाले खर्च को देखे तो –

यदि वर्तमान नियमों के तहत कोई भी भारतीय नागरिग अपने व्यवसाय अथवा मुनाफा कमाने के हिसाब से कोई भी कार्य करे तो उसने नियमों के तहत संबन्धित विभाग मे पंजीयन करना होता है जो निम्न प्रकार है एवं केवल एक बार लगता है तथा मुनाफा कमाने की पूरी छूट है । जबकि स्कूल खोलने पर कई बार कई प्रकार के शुल्क लगभग हर साल देने होते है – संस्था संचालन करने वाले के लिए चैरिटी पर सरकार की कमाई का सबसे बडा जरिया – ऑकडे देखे

संस्था प्रकार	पंजीयन शुल्क	मान्यता शुल्क	कमौन्नती शुल्क माध्यमिक	कमौन्नती शुल्क उ0 माध्यमिक	बोर्ड द्वारा शुल्क एफीलियेशन फीस	परीक्षा शुल्क	कीडा शुल्क	सोसायटी नवीनकरण शुल्क प्रति तीन वर्ष
फर्म	1500	–	–					
कम्पनी	15000	–	–					
स्कूल	15000	55,000	3,95,000	4,20,000	4,20,000	छात्र वायज	छात्र वायज	1,000

यह तो था लगने वाला शुल्क लेकिन यदि शुल्क वृद्वि को देखे तो 2008–09 मे व सत्र 2012–13 मे शुल्क मे सरकार ने जो वृद्वि की है वो देखिए –

सत्र	सोसायटी	प्राथमिक	माध्यमिक	उच्च मा0	बोर्ड
2008–09	2500	00	40,000	67,000	
2012–13	15,000	55,000	3,95,000	4,20,00	
वृद्वि प्रति0	600%	55,000%	1000%	625%	

DO NOT COPY

कृप्या देखे कौन मुनाफा खोरी कर रहा है ।

उपरोक्त सभी बिन्दूओं के अतिरिक्त 2014–15 से देश मे आरटीई नियम अनिवार्य कर दिया जायेगा जिसके तहत सभी संस्थाओं को मान्यता लेने के लिए स्वय का खेल का मैदान, नियमानुसार भवन, लगभग 5 एकड संस्थान के नाम भूमि, फर्नीचर, खेल सामग्री व अन्य सुविधाये अनिवार्य की जा रही है

7. समझ से परे है एक तरफ सुविधाएँ एवं सरकारी फीस मे बेहताशा वृद्वि की जा रही है दूसरी तरफ संस्थाओं पर फीस की कटौती की मार ।
8. एक संस्था मे निम्नांकित पद हो सकते है ।
   हमारी संस्था मे वर्तमान मे कार्यरत शेक्षणिक कर्मचारियो की संख्या – निम्न है –
   1. प्रधानाचार्य /प्रधानाध्यापक/उप प्रधानाचार्य /उपप्रधानाध्यापक /व्याख्याता/द्वितीय श्रेणी शिक्षक / तृतीय श्रेणी शिक्षक/ एनटीटी अध्यापक

गैर शैक्षणिक कर्मचारियों मे – व्यवस्थापक , कार्यालय स्टाफ जिसमे एक रिसेपसन, कर्ल्क ,लेखा कार , चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी एवं सफाई कर्मी , डाईवर, चौकीदार, गार्ड व मैन्टीनेन्स मेनेजर आदि कार्यकरत है ।

आय – व्यय का विवरण भरते वक्त रखी जाने वाली सावधानी ध्यान से पढे ।

आपको सबसे पहले अपने विद्यालय की वास्तविक छात्र संख्या निकालनी है । उसके बाद उसमे से आरटीई वाले बच्चो की संख्या उसमे से घटानी है । उसके बाद जिन छात्रो को मुफत मे पढा रहे हो उनकी संख्या धटानी है । अब बची संख्या वो संख्या है जो आपको फीस देती है ।

अब इसमे से भी जिनको छूट दे रखी है उनकी संख्या निकालो तथा यदि वे पूरी फीस देते तो कितनी आती एवं आ कितनी रही है । यह राशि छूट होगी जिसे आप प्रतिशत मे दिखा सकते हो – जैसे टोटल बच्चे 200 जिसमे से मुफत मे 15 तो बचे 185 अब इसमे से आपने कक्षा 1 मे दो बच्चो को 100 फीस मे से 10 रू0 की छूट दे रखी है किसी को कुछ की छूट दे रखी है । तो आपको टोटल कितने पैसे का नुकसान छूट देने के कारण हो रहा है, वह संख्या एवं राशि निकालनी है ।

फिर आपके पिछले सालो छूट के अलावा कितनी राशि और आई ही नही , अर्थात बच्चे चाहे छूट वाले हो, चाहे पूरी फीस वाले यदि आपको फीस नही दे रहे है तो वे

DO NOT COPY

डूबत वाले कहलायेगे अर्थात जिनकी फीस गत वर्षो मे नही आई उसी आधार पर औसत राशि डूबत निकाल लेवे ।

उदाहरण – राम नरेश स्कूल , मुरलीपुरा , जयपुर

कुल छात्र संख्या – 300

कक्षा एक से पॉचवी तक कुल बच्चे – 200

कक्षा 6 से 8 वी तक तक कुल बच्चे 100

वार्षिक फीस एक से पॉचवी तक 2000 रू0

तथा 6 से आठवी तक 3000 रू0

मुफत बच्चे एक से पॉचवी तक 15 तथा 6 से 8 वी तक 20 टोटल 35 बच्चे मुफत । अब शेष बचे बच्चो की संख्या – 300 –35 तो 265 बच्चे ।

यदि ये सारे बच्चे पूरी फीस देते तो फीस आती –

प्राथमिक कक्षाओं की फीस आती – 200–15 तो 185 गुना 2000 तो 3,70,000 रू0 आती जिसमे से 40 बच्चो को छूट की वजह से 50,000 एवं डूबत मे 20,000 रू है तो

एवं 6 से 8 वी तक 100 – 20 तो 80 गुना 3000 तो 2,40,000 रू0 लेकिन 10 बच्चो को छूट की वजह से 30,000 व डूबत की वजह से 10,000 रू0 नही आये ।

यहॉ पुरी फीस का केलकूलेशन इस प्रकार भी किया जा सकता है ।

कुल फीस आती – 200 गुना 2000 तो 4,00,000 तथा 100 गुना 3000 तो 3,00,000 अर्थात 7,00,000 लाख । लेकिन 35 बच्चे के मुफत होने से 6,10,000 ही आये ।

कुल फीस आती – 6,10,000 लेकिन उनमे से भी **(40** व 10 बच्चो को छूट होने से कुल छूट वाले बच्चे 50 हो गये एवं राशि 50,000 व 30,000 अर्थात 80,000 हो गई जिसे प्रतिशत मे निकाले तो 80,000 भाग 6,10,000 तो 13 प्रतिशत छूट हो गई **)(** डूबत को इस प्रकार देख सकते है 20,000 तथा 10,000 कुल 30,000 कितनी राशि 6,10,00 – 80,000 तो 5,30,00 पर जो 5.66 प्रतिशत के करीब होती है **)**

DO NOT COPY

अर्थात आपको केवल 5,30,000 ही मिले 7,00,000 लाख के स्थान पर ।

7,00,000 मे 300 बच्चो को भाग देने पर औसत प्रति बच्चा निकलता है –2333.33 रू0 जबकि 5,30,000 मे 300 को भाग देने पर 1766.66 रू0 आते है । यही फार्मूला हमारी फीस को कम करवा रहा है ।

हकीकत मे इन सब को घटाने पर जो इनकम होगी वही तो हमे मिलती है और उसी आधार पर हम खर्चे करते है ।

विद्यालय की आधार भूत संरचना के सम्बन्ध मे ।

फीस के लिए पोर्टल भरते समय आधारभूत संरचना के प्रपत्रो मे निम्न तथ्यों का कॉलम नही होने से भरने से रह गये ।

आपको यह ध्यान रखना है कि – आपने जो लिखा है उसमे क्या और जोडना भूल गये थे उसे अब जोड सकते हो ।

1.संस्था के परि़क्षेत्र

भूकि की माप मे हमने केवल खेल के मैदान की नाप लिखना भूल गये व उसका पुस्तक मुल्य नही लिखा गया । यह मैदान इस वर्ष से ही यूज मे लिया जा रहा है जिसकी कीमत अथवा किराया इसमे शामिल नही किया गया है । अर्थात किराया की राशि जोडी जा सकती है । किराया नामा खेल के मैदान का दिखा सकते है जरूरी नही कि ये खेल का मैदान उससे लगता हुआ हो । यह आस''पास भी हो सकता है। क्योकि पूर्व वर्षो मे यह जरूरी नही था, सो नही लिया गया एवं इसीलिए पूर्व मे इसकी लागत भी नही दिखाई गई ।

इस बार ही यूज ले रहे है । आरटीई मे यह जरूरी भी बताया गया है । या तो इसके खर्चे शामिल करे अथवा आरटीई नियमो मे छूट दिलवावे ।

---

8. भवन का विवरण –

यहा यह ध्यान रखना है कि यदि आपके पास किराये का भवन है तो आपको किराया ही दिखाना होता है जो आपने दिखा दिया लेकिन यह ध्यान मे रखे कि अब उसमे किराया कैसे बढाया जाये – यह सोचे जिसमे निम्न कार्य हो सकते है –

DO NOT COPY

भवन का निर्मित क्षेत्र फल केवल पूर्ण निर्मित का ही दिखाया गया है । साथ ही आप अधिक निर्माण की बात कर सकते है लेकिन कमरो की संख्या हो तो ही बतावे ।

नोट – उन लोगो को विशेष ध्यान रखना है जिन्होने पोर्टल भर दिया और सारे ऑकडे व सबूत दे दिया तो अब कैसे उनकी फीस को बढाने के लिए क्या – क्या हो सकता है । याद रखे आपने ऑकडे स्वयं ने दिये है एवं उनमे हेर –फेर करना गलत होगा । हॉ जो आप लिखना भूल गये , वो ही मै आपको याद दिला रहा हूँ । उसे इस फार्म मे भर कर दे देना । पूरी केलकूलेशन के साथ । आप इस बात का ज्यादा ध्यान नही देवे कि आपकी पुरानी बैलेन्स सीट मे खर्चे कम थे, हो सकता है आप उन दिनो कम लेते थे, कम सुविधा देते थे, आज पूरी सुविधा दे रहे हो तो पूरी फीस लेने का हक है ।

फिर भी कोई समझ मे नही आये तो ग ल ती करने की बजाय 9413623033 अथवा हैल्प लाईन न0 902 416 4000 पर कॉल करे । आपसे हमारे साथी बात कर लेगे

902 – 416 – 4000 शिक्षा परिवार जयपुर

यहॉ बात नही होने पर भी आपके न0 कम्पयूटर पर आ जायेगे जिस पर हम सुंविधानुसार बात कर लेगे ।

DO NOT COPY